संख्या-1683-57-2025-57-1-1-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2025**

विषयः-धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट के वार्षिक अनुरक्षण बिल के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त् निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय के पत्र सं0-127/ध0का0नि0/2025-26 दिनांक-05.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की विभागीय वेबसाइट www.updharmarthkarya.in के दिनांक- 14.06.2023 से दिनांक 13.06.2024 तक तथा दिनांक-14.06.2024 से दिनांक-13.06.2025 के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा किये जाने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था के भुगतान हेतु शासन स्तर से निर्णय लिये जाने एवं उक्त वेबसाइट के पर्यवेक्षण का कार्य निदेशालय को हस्तगत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू० पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि० द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in का दिनांक-14.06.2023 से दिनांक 13.06.2024 तक एवं दिनांक 14.06.2024 से दिनांक 13.06.2025 तक का अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत धनराशि रू0 9,48,189/- एवं धनराशि रू0 9,48,189/- (कुल धनराशि रू0 18,96,378/- जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान यू० पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि० के पक्ष में किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख के सापेक्ष देय धनराशि रू० 18,96,378.00 जी0एस0टी0 सहित (अठ्ठारह लाख छियानवे हजार तीन सौ अट्ठहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों:-

1. जी०एस०टी० के मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ के द्वारा राजकोष में जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली योजनाओं के सम्यक अनुश्रवण हेतु विकसित सी०एम० डैशबोर्ड (दर्पण पोर्टल) एवं आई०एस०पी० पोर्टल द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर दर्शित जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली योजनाओं का अनुश्रवण किये जाने के दृष्टिगत धर्मार्थ कार्य विभाग की रैंकिंग सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त वेबसाइट के पर्यवेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in का समय-समय पर अपडेशन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,96,378 (रुपये अठारह लाख छियानबे हजार तीन सौ अठहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक-2250001010700 ई डिस्ट्रिक योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को इन्टीग्रेशन मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ० प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, आई० टी० एवं एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग-2
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, वाराणसी/लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (सॉफ्टवेयर), उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. वित्त-व्यय-नियन्त्रण अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
10. सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ० प्र० शासन।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।